

अह्मीकर

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख 941 का नियम 26)

तारीख 28/02/13 से 21/04/13 तक

आदेश पत्रक

जिला - पटना

केश का प्रकार:-दाखिल खारीज

RTPS APPLICATION NO. 366 Date 28.02.13

दाखिल खारीज बाद सं० 72 /2013-2014 हल्का सं० 06

तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई व वारे में टिप्पणी तारीख सहित

8/02/13

श्री/श्रीमती शंकर सिंह
पिता/पति शुभ चंद्रनरदन सिंह
ग्राम भोमिर्पुर पो फतुहां
थाना फतुहां जिला पटना
केवाला सं० 1488 दिनांक 06/04/2008 के आधार पर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन दाखिल किया है

मौजा का नाम	थाना सं०	खाता सं०	खसरा	रकबा	लगान
<u>भोमिर्पुर</u>	<u>120</u>	<u>35</u>	<u>120</u>	<u>0-09 1/2</u>	<u>0.50 रु० 02/10</u>

मूल आवेदन पर हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दें।
अभिलेख दिनांक 12/03/13 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचलधिकारी
फतुहां।

अंचलधिकारी
फतुहां।

24/03/13

5/03/13

अभिलेख उपस्थापित है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है।

हल्का कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी विक्रेता/प्रावस्कर्ता/इम्नकर्ता के नाम से नहीं मिलती है। अतः आवेदक से जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य की मांग करें। अभिलेख दिनांक 16/4/13 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

अंचलाधिकारी
फतुहां।

कृ०पृ०उ०

न्यायालय अंचलाधिकारी, फतुहां

आदेश

पृ० संख्या:-02

दाखिल खारीज बाद सं०..... 72 / 2012-2013

हल्का सं०..... 08

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>6/04/13 4/04/12</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। आवेदक/आवेदिका उपस्थित/अनुपस्थित। आवेदक /आवेदिका के स्तर से उपरोक्त नोटिस के माध्यम से मांगी गई वांछित साक्ष्य आज तक अप्राप्त है, चूंकि हल्का कर्मचारी/अं०नि० के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन कि जमाबंदी विकेता/दात्रकर्ता/पावरदाता के नाम से पंजी-II में नहीं मिलती है। उक्त वांछित साक्ष्य के बगैर दा०खा० स्वीकृत करना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः ऐसी परस्थिति में उपरोक्त वांछित साक्ष्य के अभाव में आवेदक /आवेदिका के आवेदन को <u>मुहली</u> किया जाता है। आवेदक /आवेदिका अगर चाहें तो अपने हक/हिस्से को प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकते है</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचलाधिकारी फतुहां।</p>	<p>अदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> <p>अंचलाधिकारी फतुहां।</p>